कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/वैकल्पिक शिक्षा/मा–द/2018–19 दिनांक 27.08.2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले।

विषय :– श्री बाबूलाल राणा, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय भाट, भाण्ड, राणा, डोली, नट समाज विकास समिति जयपुर द्वारा सौंपे गये ज्ञापन के क्रम में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/वै.शि/2019–20/4649, दिनांक 9.8.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि श्री बाबुलाल राणा, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय भाट, भाण्ड, राणा, डोली, नट समाज विकास समिति, जयपुर द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपे गये ज्ञापन (संलग्न) के अनुसार समाज के परिवार घुमक्कड है एवं जहां भी 15–20 परिवार टैन्ट/तम्बु लगाकर रहते है। वहां शिक्षा की व्यवस्था करवाया जाकर इनके बच्चों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जाने की मांग की है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा घुमक्कड (माइग्रेटरी) परिवारों के कम से कम 15 बच्चों के समूह की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के लिये माइग्रेटरी शिविर संचालित किये जाते है। सत्र 2019–2020 बच्चों के लिये माइग्रेटरी शिविर संचालित किये जाने है। अतः आपके जिले में घुमक्कड जातियों, ईट–भटटा मजदूरों के ऐसे समूहों को, जहां कम से कम 15 शिक्षा से वंचित बच्चें उपलब्ध हो सके, उन्हें चिन्हित करवाकर इन बच्चों की जिले की सूचना दिनांक 30 अगस्त, 2019 तक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर कार्यालय को निन्मलिखित प्रपत्र में ई–मेल आईडी smsa.asfe@gmail.com पर उपलब्ध करवाये, जिससे इन बच्चों के लिये माइग्रेटरी शिविर संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

माइग्रेटरी बच्चों की सूचना का प्रपत्र

क.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	समूहों की संख्या (एक समूह में कम से कम 15 बच्चों की संख्या)	माइग्रेटरी कुल बच्चों की संख्या

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc119